

(1)

उत्तराखण्ड शासन
आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग
अधिसूचना

10 अक्टूबर, 2007 ई०

संख्या 1198/XVIII(2)/07-3(6)/2007-आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53, वर्ष 2005) की धारा 14 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, एतद्द्वारा "उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण" को निम्नलिखित रूप में गठित करते हैं :-

- | | |
|--|--|
| 1. मा० मुख्यमंत्री | - अध्यक्ष (पदेन) |
| 2. मा० आपदा प्रबन्धन मंत्री | - उपाध्यक्ष |
| 3. मा० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री | - सदस्य |
| 4. मा० पेयजल एवं सिंचाई मंत्री | - सदस्य |
| 5. मा० परिवहन मंत्री | - सदस्य |
| 6. मा० ग्राम्य विकास मंत्री | - सदस्य |
| 7. राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष (मुख्य सचिव) | - सदस्य एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पदेन) |
| 8. प्रमुख सचिव, वित्त | - सदस्य |
| 9. प्रमुख सचिव, आपदा प्रबन्धन | - सदस्य |

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1198/XVIII(2)/07, dated October 10, 2007 for general information :

NOTIFICATION

October 10, 2007

No. 1198/XVIII(2)/07--In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Disaster Management Act, 2005 (Central Act No. 53 of 2005), the Governor is pleased to Constitute the Uttarakhand Disaster Management Authority as follows :-

- | | |
|--|--|
| 1. Hon'ble Chief Minister | - Chairperson (Ex-officio) |
| 2. Hon'ble Disaster Management Minister | - Vice Chairperson |
| 3. Hon'ble Medical and Health Minister | - member |
| 4. Hon'ble Drinking Water and Irrigation Minister | - member |
| 5. Hon'ble Transport Minister | - member |
| 6. Hon'ble Rural Development Minister | - member |
| 7. Chairperson of State Executive Committee
(Chief Secretary) | - member and Chief Executive Officer
(Ex-officio) |
| 8. Principal Secretary, Finance | - member |
| 9. Principal Secretary, Disaster Management | - member |

By Order,

NRIP SINGH NAPALCHAYAL,
Principal Secretary.

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 27-10-2007, भाग-1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 2 आ०प्रब०/520-1-11-07-100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।